

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(24)एमई/ग्रुप-1/2021

जयपुर, दिनांक : 25 OCT 2021

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 28.09.2021 के द्वारा नवनियुक्त निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि हेतु निवेदन किया गया है। इनके निवेदन पर विचार करते हुए विभागीय आदेश दिनांक 28.09.2021 में निर्धारित कार्यग्रहण अवधि की निरन्तरता में इनके नाम के सम्मुख अवधि तक के लिए उनके कार्यग्रहण काल में एतद्वारा अभिवृद्धि की जाती है :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पद जिस पर नियुक्ति प्रदान की गई है	कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि की समयावधि
1.	डॉ भारती पालीवाल	वरिष्ठ प्रदर्शक, पीएसएम मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	1 माह
2.	डॉ चैतन्य क्षत्री	वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमेस्ट्री, मेडिकल कॉलेज, अजमेर	2 माह

उक्त दोनों अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अभिवृद्धि की गई समयावधि में अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, सूचना इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,  
22/10/21  
(सुनील शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, उदयपुर/अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थी के अभिवृद्धि की गई अवधि में अपने पद पर कार्यग्रहण करने अथवा नहीं करने की सूचना अविलम्ब इस विभाग को जरिये ई-मेल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।

22/10/21  
(अशोक कुमार सोनी)  
उप शासन सचिव